Airo International Research Journal
Peer Reviewed Multidisciplinary Indexed Journal
ISSN: 2320-3714
Volume:5 Issue:1 January 2015

परम्परागत व्याकरणिक परिप्रेक्ष्य

कामताप्रसाद गुरु और किशोरीदास वाजपेयी का कारकीय विश्लेषण

डॉ शशी सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग
महाराजा अग्रसेन कॉलेज(दिल्ली विश्वविद्यालय)

सारांश

भाषा के संप्रेषण व्यापार में वक्ता और श्रोता की मुख्य भूमिका रहती है। मानव मन में जो अनुभव एकत्रित होते हैं वे वाक्यों के रूप में ही प्रस्फुटित होते हैं मानव अपने अनुभवों को वाक्यों में अभिव्यक्ति प्रदान करता है। वाक्यों की गहराई तक पहुँचने के लिए हमें व्याकरण को समझना होगा और जब व्याकरण को जानने की इच्छा हो तो हमें सर्वप्रथम आचार्य कामताप्रसाद गुरु के 'हिंदी व्याकरण' ग्रंथ का अध्ययन करना अनिवार्य है जिनमें सभी नियमों को प्रारंभिक रूप से क्रमबद्ध तरीके से विस्तार से समझाया गया है। वाक्य का यह संबंध कारकों के बिना अर्पूण है। कारक चिन्हों के द्वारा ही वाक्यों को संपूर्णता प्राप्त होती है इसलिए इस शोध में हमने यह समझाने की कोशिश की है कि कामताप्रसाद गुरु के व्याकरण में कारकों की क्या-क्या व्याख्याएँ व परिभाषाएँ दी गई हैं जिन्हें जाने-समझे बिना मूल में जाना मुश्किल है। गुरु (1920) के व्याकरण की कारकीय विशेषताओं को यहाँ संक्षेप में वर्णित किया जा रहा है साथ ही उसमें होने वाले अंतर व परिवर्तन को भी समझाया गया है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के 'हिंदी शब्दानुशासन' में व्याकरण के नियमों को बताते हुए कारकीय संरचना पर भी प्रकाश डाला गया है।

शब्द कूंची - कामताप्रसाद गुरु, कारकीय व्याख्या, किशोरीदास वाजपेयी, विभक्ति प्रयोग।

गुरु कामताप्रसाद

परम्परागत वैयाकरणों में केलॉग के अतिरिक्त गुरु के 'हिंदी-व्याकरण' का भी अपना ऐतिहासिक महत्व है। इन्होंने संस्कृत व अंग्रेजी व्याकरण की पद्धतियों को अपनाते हुए 'हिंदी-व्याकरण' की रचना की है। इन्होंने अधिकतर साहित्यिक उदाहरण दिए हैं। अभी तक लिखे गए सभी व्याकरणों में इनके व्याकरण का अपना विशिष्ट स्थान है। ''हिंदी-व्याकरण' के तीसरे अध्याय में 'कारक-विश्लेषण' के अंतर्गत इन्होंने सभी कारकों तथा विभक्तियों पर विचार किया है।

कारक की परिभाषा इन्होंने इस प्रकार दी है - ''संज्ञा (या सर्वनाम) के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उस रूप को कारक कहते हैं।[1] जैसे -

''रामचंद्र जी ने खारी जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया है।'' इस वाक्य को स्पष्ट करते हुए इन्होंने बताया कि इस वाक्य में क्रमशः प्रयुक्त ''रामचंद्र ने'', ''समुंद्र पर'', ''बन्दरों से'', और ''पुल'' ये संज्ञाओं'' के रूपांतर हैं। जिनके द्वारा इस वाक्य में प्रयुक्त संज्ञाओं का संबंध ''बंधवा दिया'' क्रिया के साथ सूचित होता है, अर्थात् ये कारक है। इन्होंने कहा कि कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वे विभक्तियाँ कहलाती है। गुरु ने कारक और विभक्ति दोनों में अंतर नहीं माना। इन्होंने कहा कि संस्कृत में तो शब्दों के रूप स्थिर हैं इसलिए हम संस्कृत में कारक और विभक्ति का अंतर कर सकते हैं। परंतु हिंदी में नहीं।

गुरु ने माना कि - 'हिंदी संज्ञाओं की एक विभक्ति कभी-कभी चार-चार कारकों में आती है। जैसे -

1. मेरा हाथ दुखता है। 2. उसने मेरा हाथ पकड़ा। 3. नौकर के हाथ चिट्ठी भेजी गई। 4. चिड़िया हाथ न आई।''

इससे स्पष्ट है कि इन वाक्यों में एक ही विभक्ति क्रमशः कर्ता, कर्म, करण और अधिकारण में प्रयुक्त हुई है।

अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर इन्होंने हिंदी में आठ कारक माने हैं। जो इस प्रकार है- कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इन्होंने इन कारकों की विभक्तियाँ क्रमशः ने, को, से, को, से, का-के-की, मैं, पर- अजी-अहो आदि मानी है। इसके उपरांत इन्होंने सभी कारकों की अलग-अलग परिभाषा देकर उन्हें स्पष्ट किया है।

कर्ता कारक: कर्ता कारक की परिभाषा इन्होंने इस प्रकार दी है- ''क्रिया से जिस वस्तु के विषय में विधान किया जाता है, उसे सूचित करने वाले संज्ञा के रूप को कर्ता कारक कहते हैं।''[2] जैसे -

''लड़का सोता है।'' ''चिट्ठी भेजी जाएगी।''

कर्ता कारक के लिए दिया गए पहला उदाहरण तो ठीक है परंतु दूसरे उदाहरण में ''चिट्ठी''कर्ता कारक में न होकर कर्म कारक में है।

आगे कारकों के अर्थ तथा प्रयोग बताते हुए इन्होंने कहा कि - ''कुछ कालवाचक संज्ञाएँ बहुवचन के विकृत रूप में ही कर्ता कारक में आती है।[3] जैसे - ''मुझे परदेश में बरसों बीत गए।''

यह हिंदी का ''को-युक्त'' वाक्य है। जिसमें ''मुझे'' उद्देश्य है, किंतु गुरु ''बरसों'' को कर्ताकारक मानते हैं, जो संगत नहीं है।

कर्म कारक - कर्म कारक की परिभाषा देते हुए गुरु कहते हैं- जिस वस्तु

पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाले संज्ञा के रूप को कर्म कारक कहते हैं। जैसे –

''मालिक ने नौकर को बुलाया।''[4]

कारकों के अर्थ व प्रयोग समझाते हुए इन्होंने बताया कि कर्म कारक का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ होता है। कर्ता कारक के लिए दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट है कि कर्ता कारक शून्य परसर्ग के साथ भी आता है। इन्होंने कहा कि जैसे कर्ता कारक बिना परसर्ग के भी आता है उसी प्रकार के कर्म कारक अप्रत्यय भी होता है और सप्रत्यय भी।

इनके अनुसार अप्रत्यय कर्म कारक का प्रयोग मुख्य कर्म, कर्मपूर्ति, सजातीय कर्म, अनिश्चित कर्म को बताने के लिए होता है। सप्रत्यय कर्म कारक का प्रयोग निश्चित कर्म में, व्यक्तिवाचक, अधिकारवाचक, संबंधवाचक कर्म में, मनुष्यवाचक सार्वनामिक कर्म में तथा ''कर्मवाच्य के भावे प्रयोग के उद्देश्य से होता है। जैसे -

''उन्हें एक बहुमूल्य चादर पर लिटाया जाता।''[5]

इस वाक्य को इन्होंने भावे प्रयोग माना है जब कि यह कर्मवाच्य है।

करण कारक: गुरु ने ''संज्ञा के उस रूप को जिससे क्रिया के साधन का बोध होता है करण कारक कहा है।''[6] जैसे-

''सिपाही चोर को रस्सी से बाँधता है।''

इस वाक्य में इन्होंने ''रस्सी से'' को करण कारक माना है।

संप्रदान कारक: संप्रदान कारक की परिभाषा देते हुए इन्होंने कहा कि -

‘‘जिस वस्तु के लिए कोई क्रिया की जाती है उसकी वाचक संज्ञा के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं।’’[7] जैसे -

‘‘राजा ने ब्राह्मण को धन दिया।’’

इस वाक्य में ब्राह्मण को धन दिया गया है इसलिए यह संप्रदान कारक है। कारकों के अर्थ का प्रयोग देते हुए इन्होंने कहा कि संप्रदान कारक का प्रयोग प्राप्ति, मनोविकार, प्रयोजन, कर्तव्य, आवश्यकता और योग्यता दिखाने के लिए होता है। प्राप्ति के अर्थ में इस कारक का प्रयोग –

‘‘उसे भरपूर आदर मिला है। लड़कों को गाना आता है।’’[8]

इन दोनों वाक्यों में इन्होंने ‘‘उसे’’ तथा ‘‘लड़को को’’ संप्रदान कारक माना है जबकि इन दोनो वाक्यों में कर्ता कारक उद्देश्य नहीं है। इन वाक्यों में क्रिया का संबंध ‘‘उसे’’, ‘‘लड़के को’’, पदों से है तथा ये ही उद्देश्य है जो कि प्राप्तकर्ता, ज्ञानयुक्त कर्ता, आदि है, केवल संपद्रान नहीं है।

इन्होंने कहा कि ‘‘मनोविकार’’ संबंधी जब अर्थ हो तो संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। जैसे -

‘‘करुणाकर को करुणा कछु आई।’’[9]

करुणाकर को इन्होंने संप्रदान कारक माना है जबकि यह वाक्य भी हिंदी के ‘‘को-युक्त’’ वाक्य ही है।

‘‘मुझे उनसे कुछ नहीं कहना है।’’ ‘‘मुझे वहाँ जाना चाहिए।’’[10]

इन दोनों वाक्यों में प्रयुक्त ‘‘मुझे’’ को इन्होंने संप्रदान कारक माना है जब कि ये हिंदी के - ‘‘को-युक्त’’ वाक्यों के उद्देश्य हैं।

इन्होंने कहा कि कुछ शब्दों के योग से संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। जैसे - **''लगना, रूचना, मिलना, पढ़ना, होना आदि।**

अर्कमक क्रियाएँ

क्या तुमको बुरा लगा।
राजा को संकट पड़ा।।[11]

इन वाक्यों में प्रयुक्त 'तुमको', 'राजा को', को इन्होंने सम्प्रदान कारक कहा है। जबकि ये भी हिंदी के 'को-युक्त' वाक्यों के उद्देश्य है।

इन्होंने कहा कि इसी प्रकार प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद, बधाई आदि संज्ञाओं में भी सम्प्रदान कारक आता है। जैसे - **गुरु को प्रणाम है।**

ये कहते हैं कि चाहिए, उचित, योग्य, विशेषणों के साथ भी संप्रदान कारक आता है। जैसे- **''मुझे उपदेश नहीं चाहिए।''**

''मुझे'' को इन्होंने संप्रदान कारक माना है जब कि यह हिंदी के ''को-युक्त'' वाक्यों का आकांक्षायुक्त कर्ता है। अपने विवेचन को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कहा कि कुछ संयुक्त क्रियाओं के साथ भी संप्रदान कारक आता है। जैसे -

आवश्यकताबोधक क्रियाएँ- ''तुमको यह काम करना होगा।''

अवधारणाबोधक क्रियाएँ- ''रोगी को कुछ न सुन पड़ा।''

नामबोधक क्रियाएँ- ''उसे रात को दिखाई नहीं देता।''[12]

इन सभी संयुक्त क्रियाओं के योग में इन्होंने ''रोगी को'', ''उसे'',

''तुमको'', को संप्रदान कारक के प्रयोग माने, किंतु ये हिंदी के ''को-युक्त'' वाक्यों के उद्देश्य है। इनके द्वारा दी गई परिभाषाओं तथा उदाहरणों से कर्मकारक व संप्रदान कारक का अन्तर स्पष्ट रूप से सामने नहीं आता।

अपादान कारक: गुरु ने ''संज्ञा के उस रूप को अपादान कहा है जिससे क्रिया के विभाग की अवधि सूचित होती है। जैसे-

''पेड़ से फल गिरा।''[13]

इसमें इन्होंने ''पेड़ से'' को अपादान कारक कहा है।

संबंध कारक: ''संज्ञा के जिस रूप में उसकी वाच्य वस्तु का संबंध किसी दूसरी वस्तु के साथ सूचित होता है उस रूप को इन्होंने कारक माना।''[14] जैसे - **''राजा का महल''। ''लड़के की पुस्तक''।**

इसमें ''राजा का'', ''लड़के की'' का संबंध दूसरे शब्दों के साथ दिखाई पड़ता है इसलिए इन्होंने इसे संप्रदान कारक कहा है।

अधिकरण कारक: गुरु ने ''संज्ञा का वह रूप जिसके क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहा है।''[15] जैसे -

''सिंह वन में रहता है''

इस वाक्य में ''रहना'' क्रिया का आधार है '' वन में''। इसलिए इसे उन्होंने अधिकरण कारक माना है।

संबोधन कारक: संज्ञा के जिस रूप से किसी को चिताना या पुकारना सूचित होता है।''[16] जैसे- **''अरे लड़के। इधर आ।''** इसमें इन्होंने ''अरे' को संबोधन चिह्न कहा है।

वाच्य के अंतर्गत, कर्तृवाच्य का विश्लेषण करते हुए इन्होंने ''को-युक्त'' वाक्यों का प्रयोग किया है। ये कहते हैं कि- ''चाहिए, ''यथार्थ में आदर-सूचक निधि का रूप है, पर इससे वर्तमानकाल की आवश्यकता का बोध होता है। जैसे- **''मुझे पुस्तक चाहिए।''**[17]

यह वाक्य भी हिंदी का ''को-युक्त'' वाक्य है। ''मुझे'' संज्ञापद आकांक्षायुक्त अनुभावक है।

गुरु के कारक विश्लेषण द्वारा कर्म का व संप्रदान कारक का अंतर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाता है। इन्होंने संप्रदान कारक के जो उदाहरण दिए हैं उनमें अधिकांश हिंदी के ''को-युक्त'' वाक्य है। जो इस प्रकार के वाक्यों में संप्रदान न होकर वाक्य के उद्देश्य होते हैं।

वाजपेयी, किशोरीदास

परंपरागत वैयाकरणों में वाजपेयी का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी कारकों पर इन्होंने भी विचार किया है। कारक की परिभाषा इन्होंने क्रिया के साथ अन्वय की दृष्टि से दी है। वाजपेयी के अनुसार - ''क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो, उसे कारक कहते हैं[18] -''क्रियान्वयित्व कारकत्वं। जैसे - **''राम पानी पीता है।''**

इस वाक्य में इन्होंने ''पी'' धातु का संबंध ''राम'' से माना है जो कि कर्ता है और ''पानी'' कर्म है। ''कारक के साथ लगने वाली विभक्तियों को इन्होंने कारक विभक्ति कहा है।''[19]

परंपरा से प्राप्त विभक्ति शब्द को ही इन्होंने स्वीकार किया है। इन्होंने कहा ''विभक्ति'' शब्द के स्थान पर ''परसर्ग' यह नया शब्द नहीं चलाना

चाहिए, परंतु आज इस विभक्ति के लिए परसर्ग शब्द का प्रयोग भी होता है। ''हिन्दी में इन्होंने दो तरह की विभक्तियों मानी -(1) विश्लिष्ट और (2) संश्लिष्ट।'' हिंदी में ''ने'', ''को'', ''से'', ''में पर'' आदि को इन्होंने विश्लिष्ट विभक्तियाँ कहा है।[20]

संस्कृत व्याकरण के आधार पर हिंदी में इन्होंने छः कारक माने हैं-कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। साथ ही संबंध कारक को भी इन्होंने माना है। सभी कारकों की अलग-अलग परिभाषा इन्होंने इस प्रकार दी है-

कर्ता कारक: इन्होंने एक उदाहरण देते हुए कर्ता कारक को समझाया है। जैसे - **''राम पानी पीता है।''**

इस वाक्य में ''राम'' पानी पीने की क्रिया को करने में स्वतंत्र है। इसलिए वह कर्ता है। अर्थात् ''जो क्रिया करने में स्वतंत्र हो वह कर्ता कारक है।''[21] कर्ता कारक की विभक्ति इन्होंने ''ने'' मानी। ये कहते है कि इसके अलावा ''कर्ता कारक'' ''को'' विभक्ति के साथ भी आता है।''[22] जैसे - **''राम को घर जाना हैं''**

इन्होंने कहा कि ''को'' का ही भाई ''इ'' है।''[23] जैसे - **''इसे अभी रोटी बनानी है।''**

इस प्रकार वाजपेयी भी मानते हैं कि ''को'' परसर्ग युक्त संज्ञापद कर्ता कारक में होता है। इन्होंने ''को' का संरूप ''इ'' को माना है परंतु ''को'' का संरूप ''इ'' न होकर ''ए'' तथा ''ए'' हैं। इन दोनों का प्रयोग सर्वनामों के साथ होता है। इस वचन सर्वनामों में ''ए'' का तथा बहुवचन सर्वनामों में ''ए'' का

प्रयोग होता है। वाजपेयी ने यह भी कहा कि - ''जब'' ''चाहिए'' के योग से विधि सूचित की जाती है तो कर्ता में ''को'' या ''इ'' विभक्ति लगती है। जैसे-

''बालक को अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए।''

कर्म कारक: जिस पर क्रिया का बल पड़ता है उसे इन्होंने कर्म कारक कहा है।'' जैसे - **''राम पानी पीता है।''**

इस वाक्य में पीने का फल पानी पर पड़ता है इसलिए ''पानी'' कर्म है।

इन्होंने कहा कि ''को'' विभक्ति का प्रयोग क्षेत्र बहुत व्यापक है। इन्होंने माना कि ''को'' विभक्ति कर्म कारक में लगती है जब कि क्रिया कृदंत हो और अवश्य कर्त्तव्यता या क्रिया की अनिवार्यता प्रकट करनी हो जैसे - **''राम को अभी चार विषय तैयार करने है।''**

''राम को'' इन्होंने कर्म कारक माना है। जब कि आगे दूसरे उदाहरण देकर यह स्वीकार किया है कि इसमें कर्ता की परवशता ध्वनित होती है। जैसे - **''तुम्हें पाँच रुपये दंड भुगतान ही पड़ेगा।''**

इस प्रकार एक ही प्रकार के उदाहरणों को इन्होंने कहीं कर्ता कारक कहा है, कहीं कर्म कारक।

वाजपेयी कहते हैं कि ''नैसर्गिक'' आवेगों का उद्रेक जहाँ विधेय हो, वहाँ ''को'' विभक्ति उसमें लगती है। जिसका वह आवेग हो।[24] जैसे - **''बीमार को कै हो गई।''** इसी प्रकार मानसिक आवेगों में भी - **''तब परशुराम को क्रोध आ गया।''**

वाजपेयी के अनुसार ''मिलना'' क्रिया के दो अर्थ हैं। यानि ''मिल'' एक

धातु हैं ''प्राप्ति'' अर्थ में और दूसरी ''मिल'' है ''संगतिकरण'' या ''मेल'' के अर्थ में। ''प्राप्ति'' अर्थ मे ''मिल'' का कर्ता ''को'' विभक्ति के साथ आता है। जैसे- **''लड़के को पुरस्कार मिला।''**

इन्होंने कहा कि प्राप्त होना अर्थ विलक्षित हो तो कर्ता में ''को'' विभक्ति रहेगी और कर्म निर्विभक्तिक रहेगा। जैसे- **''तुम्हें झा साहब मिल गए थे न।''**

अतः वे ''लड़के को'' तथा ''तुम्हें'' पदों का वाक्य का कर्ता मान रहे हैं।

करण कारक: इन्होंने कहा कि ''क्रिया की निष्पत्ति में ''कर्ता'' जिसकी सहायता लेता है। वह करण कारक है।''[25] जैसे- **''राम ने रावण को बाण से मारा।''** इस वाक्य में ''बाण से'' करण कारक है।

संप्रदान कारक: वाजपेयी के अनुसार - ''जिसे कुछ दिया जाए, वह संप्रदान करक है।''[26] जैसे - **''राम ने गोविंद को पुस्तक दी।''**

इस वाक्य में इनके अनुसार ''गोविंद को'' संपदान कारक है।

अपादान कारक: इन्होंने कहा कि - **''पेड़ से पत्ता पृथ्वी पर गिरा।''**

इसमें ''पत्ता पेड़ से गिरा है इसलिए ''पेड़'' अपादान कारक है।

अधिकरण कारक: इसी वाक्य में पत्ता पृथ्वी पर गिरा है इसलिए ''पृथ्वी'' अधिकरण कारक है। अर्थात् क्रिया का आधार ही अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे- **''राम के लड़की हुई।''**

इस वाक्य में ''राम'' को इन्होंने संबंध कारक की विभक्ति कहा। इनके संपूर्ण विवेचन के बाद स्पष्ट है कि इन्होंने - ''को'' विभक्ति भी माना है, किंतु

इनके विवेचन में विरोधी वक्तव्य दिखाई देते है। एक ही प्रकार के वाक्यों में आने वाले ‘‘को-युक्त’’ पदों को कहीं वे कर्ताकारक कहते हैं कहीं कर्म और कहीं संप्रदान।

निष्कर्ष

परंपरागत वैयाकरणों के दृष्टिकोण के विश्लेषण से स्पष्ट है कि इन्हें दो वर्गों में रखा जा सकता है। एक वर्ग में केलॉग, कामताप्रसाद गुरु, दीप्ति शर्मा आदि को रखा जा सकता है जिन्होंने ‘को’ परसर्ग को कर्म तथा संप्रदान का कारक चिन्ह मानकर विश्लेषण किया है।

दूसरे वर्ग में शिवनाथ, किशोरीदास वाजपेयी, आर्येन्द्र शर्मा, अखिम कृष्णमोहन शर्मा वैयाकरणों को रखा जा सकता है। इन्होंने ‘को’ परसर्ग को कर्म, संप्रदान अथवा अधिकरण कारक तक सीमित न कर कर्ता कारक तक इसका विस्तार किया है। इन विद्वानों का मत है कि शून्य प्रत्यय तथा ‘ने’ परसर्ग के अतिरिक्त ‘को’ परसर्ग भी कर्ता कारक में प्रयुक्त होता है। अतः कहा जा सकता है कि परंपरागत वैयाकरणों ने भी ‘को-युक्त’ कर्ता वाले वाक्यों पर प्रकाश डाला है, जो काफी महत्वपूर्ण है दिशा निर्धारित करता है।

संदर्भ

1. गुरु, कामताप्रसाद - हिंदी व्याकरण, पृ. 184.
2. वही, पृष्ठ 185. 3 ,4. वही, पृष्ठ 187, 188
5. वही, पृष्ठ 362. 6,7. वही, पृष्ठ 188.
8,9,10. वही, पृष्ठ 365. 11,12.. वही, पृष्ठ 366.
13,14,15,16. वही, पृष्ठ 188. 17. वही, पृष्ठ 238.

18. वाजपेयी, किशोरीदास - हिंदी शब्दानुशासन, पृष्ठ 136.

19, 20. वही, पृष्ठ 124. 21.. वही, पृष्ठ 136.

22,23.. वही, पृष्ठ 125. 24. वही, पृष्ठ 150.

25,26. वही, पृष्ठ 139.

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. कामताप्रसाद गुरु - हिंदी व्याकरण (1920)
2. किशोरीदास वाजपेयी - हिंदी शब्दानुशासन (1954)
3. शिवनाथ - हिंदी कारकों का विकास (2005)
4. डा. भोलानाथ तिवारी - हिंदी भाषा की संरचना (1979)
5. डा. भोलानाथ तिवारी - हिंदी भाषा (1980)

*****